फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– जगदीश | विपक्षी :– मोहनलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ. | पत्रावली संख्या : 18/16

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 18.06.2018 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प नामरी में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत की भावना से दोनो ही पक्षकारान को रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाने पर सहमति जाहिर की हैं। अतः उभय पक्षकारान द्वारा सहमत होने से सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा नामरी पटवार हल्का नामरी की आराजी न. 915 से 920 किता 6 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प नामरी में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला–उदयपुर (जितेन्द्र ओझा) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Scanned by CamScanner